# राज्य आयुक्त (दिव्यांगजन) न्यायालय
# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
# 25– डी, माता सुंदरी मार्ग, गुरु नानक आई सेन्टर के पास
# नई दिल्ली–110002

दूरभाष संख्या– 23216001–23216004, **E-mail: comdis.delhi@nic.in**
(दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 82 के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियों से निहित)

**केस सं० 1059/1092/2019/08/5275–5276** **दिनांक –09.09.2019**

**के संदर्भ में**

**श्री लक्ष्मण प्रसाद,**
**एल–155, जे. जे. कॉलोनी,**
**केम्प न.–3, नांगलोई,**
**दिल्ली–110041** **..............................शिकायतकर्ता**

**बनाम**

**उप निदेशक, (एफ.ए.एस.)**
**समाज कल्याण विभाग,**
**दिल्ली सरकार,**
**जी.एल.एन.एस कॉम्पलैक्स,**
**नई दिल्ली–110002** **.................................प्रतिवादी**

## आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता जो कि 49% अस्थि दिव्यांग (Locomotor Disability) है, ने अपनी शिकायत दिनांक शून्य के माध्यम से बताया है कि उसकी पेंशन सिंडिकेन्ट बैंक में आती थी। परन्तु किसी कारण से उसका खाता बन्द हो गया और 21 दिसम्बर 2017 को उनको अंतिम पेंशन मिली। उन्होंने ने अपना नया खाता (खाता सं. 33731860109) जनवरी 2018 में भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाया जिसकी जानकारी समाज कल्याण विभाग को अनेक बार दी परन्तु आज तक पेंशन पुनः जारी नहीं कि गयी है।

2. उपरोक्त शिकायत को प्रतिवादी के साथ पत्र दिनांक 06.08.2019 के द्वारा उठाया गया था और साथ ही यह निर्देश दिया गया था कि शिकायतकर्त्ता की शिकायत पर की गयी कार्यवाही की रिर्पोट इस न्यायालय में दिनांक 30.08.2019 तक भेजे।

3. शिकायतकर्ता से दिनांक 05.09.2019 को उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नम्बर (91+ 9868661355) पर संपर्क किया गया। उन्होंने बताया की उनके बैंक खाते में 40,000/- रू0 आ गये हैं और उन्हें अब कोई शिकायत नहीं है।

4. उपरोक्तानुसार मामले को निस्तारित किया जाता है।

**5.** आज **दिनांक 09.09.2019** इस न्यायालय व राज्य आयुक्त द्वारा मोहर के साथ जारी किया गया ।

THAKUR DATT DHARIYAL

Digitally signed by THAKUR DATT DHARIYAL
Date: 2019.09.11 04:23:17 -07'00'

**(टी. ड़ी. धारियाल)**

**राज्य आयुक्त (दिव्यांगजन)**